भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 781
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर चोरी की शिकायतें

781. श्री गुरजीत सिंह् औजला:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है कि सुरक्षा जांच प्रक्रिया के दौरान, विशेषकर देश भर के विभिन्न विमानपत्तनों पर एक्स-रे/सामान जांच बिंदुओं पर, सोने के आभूषण और अन्य उच्च मूल्य की वस्तुएं गायब हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ मिलकर सुरक्षा जांच बिंदुओं पर चोरी की ऐसी घटनाओं की पूरी जांच का आदेश देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सुरक्षा जांच क्षेत्रों में सीसीटीवी कवरेज को सुदृढ़ करने, औचक संपरीक्षा करने और सामान संभालने की निगरानी को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का नुकसान की सूचना देने वाले यात्रियों के लिए त्वरित प्रक्रिया के साथ मुआवजा और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ख): हवाईअड्डों पर सुरक्षा स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान दिनांक 01.01.2025 से 27.11.2025 तक चोरी की कुल 09 घटनाएं सामने आई हैं। घटनाओं की हवाईअड्डावार सूची अनुलग्नक में संलग्न है। चोरी की घटनाएं कानून-व्यवस्था का मुद्दा है, जो राज्य का विषय है। जब भी ऐसी घटनाओं को ध्यान में लाया जाता है तो स्थानीय पुलिस के पास शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जो आगे की कार्रवाई करती है।

(ग): देश में विमानन सुरक्षा विनियामक होने के नाते नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने विनियम जारी किए हैं कि हवाईअड्डों के टर्मिनल भवनों के सभी क्षेत्रों को सीसीटीवी कवरेज द्वारा कवर किया जाए। इसके साथ ही हवाईअड्डों पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) हवाईअड्डों को छोड़ते समय ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की तलाशी ली जा रही है।

(ii) एयरलाइन के कार्गो-होल्ड क्षेत्र के आसपास बैगेज मेकअप क्षेत्र (बीएमए)/बैगेज ब्रेकअप क्षेत्र (बीबीए) में एयरलाइन सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती।

(iii) यात्रियों से चोरी की शिकायत प्राप्त करने और आगे स्थानीय पुलिस को शिकायत सौंपने के लिए हवाईअड्डों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) हेल्प डेस्क काउंटरों की स्थापना।

(iv) सीसीटीवी द्वारा कड़ी निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती।

(v) एयरलाइनों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे बीएमए से विमान में और विलोमतः बैगेज की लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे लोडरों की तलाशी और जाँच करने के लिए अपने सुरक्षा कर्मचारियों का प्रभावी पर्यवेक्षण करें।

(vi) प्रस्थान और आगमन फोरकोर्ट क्षेत्र के साथ-साथ बीएमए और बीबीए में विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी)/हवाईअड्डा सुरक्षा इकाई (एपीएसयू) के कर्मचारियों द्वारा पैदल गश्त की जा रही है।

(vii) किसी भी संदिग्ध आवाजाही का पता लगाने के लिए सीआईएसएफ और एयरलाइन सुरक्षा कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

(घ): केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (इंग्राम) पोर्टल और भारत सरकार का एयरसेवा मोबाइल ऐप/वेब पोर्टल, हवाई यात्रियों द्वारा सामान के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतों सहित शिकायतों/परिवेदनाओं को दर्ज करने के लिए तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

अनुलग्नक

हवाईअड्डों पर चोरी की घटनाओं की संख्या (दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 27.11.2025 तक)

क्रम संख्या	**हवाईअड्डे का नाम**	**घटनाओं की संख्या**
1	बेंगलुरु	04
2	हैदराबाद	01
3	आईजीआई हवाईअड्डा	01
4	मुंबई	01
5	नागपुर	01
6	राजकोट	01
	कुल	**09**

*****